

ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 30/3129

30/3129

ਸ਼ੁੱਠ ਨੰਬਰ 66/20	ਸ਼ਾਖਾ ਨੰਬਰ 151	ਤਾਰੀਖ 30/3/21	File No.	ਦਿੱਖਾਈ ਦਿੱਤਾ 30/3/29
---------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------------

~~ਸਿਰਜਣੀ~~

ਗੁਪਤ ਕਮਾਨ
ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੌਰ

Name

Address

Subject

From **To**

~~ਸਿਰਜਣੀ~~

Record File

No. 3500



फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... बयाना
 गणपत बनाम..... रामलक्ष्मण
 किस्त मुकदमा..... प्रशासक एल. नं. 66/21. सन.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
25/03/21	प्रमाण आज एडव प्रार्थी ने प्रेष किया। प्रमाण की रकमिस्त्र हो। वहस दरपु प्रकरण दिनांक 30/3/2021 को प्रेष हो।	
30/3/21	प्रकरण प्रेष हुआ प्रार्थी की ओर से यह महसुस हुआ कि 25/3/2021 उपाधिक। प्रार्थी होकर प्रमाण पत्र द्वारा एडव एल के तहत प्रेष कर निवेदन किया है कि उक्त उक्तानी प्रमाण प्रार्थी का एडव कर अप्रामाणिक को तब केवल वाड अन्वय निवेदाका से पावन्द किया हुआ है। गणपत वारी प्रार्थी का एडव वाड प्रेष है। आपस मुठामान डिफरेंस पर आ-उके है। मरुड गणपत ने उक्त आपसी उड। इत्यकड मे रहन रली है को उक्त प्रार्थ कर लिया है। जमा 0.00 इत्यकड रहने से मरुड गणपत के कारनी कतिपय को नामाक कए की हक मड अडिए डिप गान का निवेदन किया है। उक्त अप्पाडि है के अडिश तब केवल वाड काम रए गाने। निवेदन किया है। हमने एडव प्रार्थी को मुक्त। एडव	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहकम
हुकम
में ज

प्राप्ति के प्राप्ति पत्र में अतिरिक्त तथ्यों को
देखा है।

इसने प्राप्ति पत्र के साथ संलग्न अतिरिक्त
क्रमांक 10/12/2019 (दस्तावेज) का अवलोकन
किया। उक्त निमित्त अतिरिक्त तथ्यों प्राप्ति पत्र प्राप्ति
स्वीकार कर उभय पक्षों के बीच काद के
निमित्त तब इकाई व मुद्दे की प्रमाणिकता बनाए
रखने कागज अर्थात् निपटारा से न्यायालय
द्वारा से पाठ्य किया जा चुका है। पक्षों की
द्वारा प्राप्ति पत्र धारा 212 का अन्तर्गत निमित्त
अतिरिक्त तथ्यों में तथ्यों का उल्लेख नहीं है।
उसी है। अतः प्राप्ति पत्र न्यायालय द्वारा से
जाती अर्थात् - निपटारा क्रमांक 10/12/2019
तत्पश्चात् गणपत के वादिका के नाम गणपत
उक्त अतिरिक्त तथ्यों की दृष्टि से अतिरिक्त
न्यायालय द्वारा से जाती अतिरिक्त तथ्यों कि
उक्त अन्य अतिरिक्त तथ्यों का अवलोकन
नहीं है। प्राप्ति पत्र प्राप्ति पत्र रवाना किया
है।

अतः प्राप्ति पत्र प्राप्ति पत्र रवाना किया
जाता है। प्राप्ति पत्र दर्ज होने नहीं पाया जाता
है उक्त अतिरिक्त तथ्यों प्राप्ति पत्र के अंतर्गत
नम्बर से उक्त है। काद तत्पश्चात् दस्तावेज
दस्तावेजों निमित्त के द्वारा आज क्रमांक 30/3/21
को अतिरिक्त तथ्यों न्यायालय मुद्राया
गया।


उपस्थित अधिकारी
बयाना (भरतपुर)